





वर्तमान में दिनांक 01.12.2008 से लागू नये प्रावधानों के अनुसार नयी व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 10, 16 एवं 26 वर्ष की अवस्था सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने का विवरण

क्र.सं.	नाम	दिनांक की तिथि	10 वर्ष	16 वर्ष	14 वर्ष	19 वर्ष	10 वर्ष की सेवा पर ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त करने की तिथि	16 वर्ष की सेवा पर ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान देतन शैल्य व ग्रेड देतन में कार्य करने की तिथि / वार्षिक प्रगति की तिथि	दिनांक 01.12.2008 को अवस्था उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए० सी०पी० का लाभ अनुभव किये जाने की तिथि	दिनांक 01.12.2008 को अवस्था उसके बाद 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय ए० सी०पी० का लाभ अनुभव किये जाने की तिथि	दिनांक 01.12.2008 को अवस्था उसके बाद 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय ए० सी०पी० का लाभ अनुभव किये जाने की तिथि	अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
189	Sri Studheer Yadav	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
190	Sri Kuldheep Siddhu	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
191	Sri Kamal Srivastav	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
192	Sri Studheer Kumar	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
193	Sri Vinay Kumar	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
194	Sri Mor Singh Sahu	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
195	Sri Tejendra Kumar	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
196	Shikha	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
197	Sri Kishan Kumar Rawat	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
198	Sri Surender Singh	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
199	Sri Pradeep	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
200	Sri Rahul Singh Rana	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
201	Kalpna	21.09.2015							21.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है
202	Sri Rakesh Chandra	23.09.2015							23.09.2015	X			अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है

सदस्य समिति  
 (मदुलेश कुमार सिंह)  
 अपर जिला जज,  
 बरेली ।

सदस्य समिति  
 (उदनीश सक्सेना)  
 विशेष न्यायाधीश (एस०पी०/एस०टी०एच०)  
 बरेली ।

अध्यक्ष समिति  
 (जितेन्द्र कुमार सिन्हा)  
 अपर जिला जज, कक्ष संख्या-1  
 बरेली ।

Approved  
 R. G. JUDGE  
 JUSTICE  
 BAREILLY



कर्मचारी सेवाओं में सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीयों की सूची जिन्हें दिनांक 30.11.2008 से पूर्व लागू शासनादेशों के अन्तर्गत 10.16.19 अथवा 8.14.19 वर्ष की अवसरत सेवा पूर्ण करने के आधार पर देय संवेक्षण ग्रेड / प्रोन्नति वेतनमान का लाभ तथा दिनांक 01.12.2008 से नयी व्यवस्था के अन्तर्गत कुल कर्मचारीयों का 10 वर्ष व 16 वर्ष का लाभ दिया जा चुका है तथा अब वर्तमान में लागू नये शासनादेशों के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2008 से प्रभावी नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपीओ का लाभ प्रदान किया जाना है।

कर्मचारीयों का 10 वर्ष व 16 वर्ष का लाभ दिया जा चुका है तथा अब वर्तमान में लागू नये शासनादेशों के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2008 से प्रभावी नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपीओ का लाभ प्रदान किया जाना है।

वर्तमान में दिनांक 01.12.2008 से लागू नये शासनादेशों के अन्तर्गत 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष की अवसरत सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपीओ का लाभ प्रदान किया जाने का विवरण

अभ्युक्ति

क्र. सं.	नाम	10 वर्ष	08 वर्ष	16 वर्ष	14 वर्ष	19 वर्ष	10 वर्ष की सेवा पर एसीपीओ का लाभ प्राप्त करने की तिथि	16 वर्ष की सेवा पर एसीपीओ का लाभ प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान वेतन मान में वार्षिक प्रोन्नति की तिथि	दिनांक 01.12.2008 से आगे अथवा उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एसीपीओ का लाभ अग्रगण्य कराय जाने की तिथि	दिनांक 01.12.2008 से आगे अथवा उसके बाद 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपीओ का लाभ अग्रगण्य कराय जाने की तिथि	दिनांक 01.12.2008 से आगे अथवा उसके बाद 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एसीपीओ का लाभ अग्रगण्य कराय जाने की तिथि	15	16
1	Jai Shanker	08.06.1971		01.01.92					18.08.1993	01.12.2008			अनुमत्य है।	16
2	Shyama Chaman Sharma	01.10.1977		01.01.92					18.08.1993	01.12.2008			अनुमत्य है।	
3	Pooran Lal Arya	05.06.1971	17.08.02						17.08.1994	01.12.2008			अनुमत्य है।	
4	Ratan Kumar	05.06.1971		01.01.92					18.08.1993	01.12.2008			अनुमत्य है।	
5	Rakesh Kumar	01.10.1971	01/01/86	01.01.92					18.08.1993	01.12.2008			अनुमत्य है।	
6	Januna Prasad	11.01.1972	08/01/87						01.08.1995	01.12.2008			अनुमत्य है।	
7	Syed Ali Mohsin	04.06.1971		01.01.92					06.09.1995	01.12.2008			अनुमत्य है।	
8	Narendra Dev	24.02.1973	23.07.89						25.09.1997	01.12.2008			अनुमत्य है।	
9	Laxmi Narayan	02.09.1972							01.01.1996	01.12.2008			अनुमत्य है।	
10	Dharam Pal Singh	01.08.1974	01.08.87						08.08.1996	01.12.2008			अनुमत्य है।	
11	Praveen Kumar Agrawal	24.02.1973	04.05.93						18.06.1998	01.12.2008				
12	Jagdish Babu	01.09.1976		01.03.95					01.07.1998		X			
13	Abdul Gaffar Khan	01.01.1977							21.12.2000	21.12.2010				
14	Akash Chandra Mishra	05.01.1977					01.12.2008		01.09.1998			X		
15	Surjeet Singh	08.03.1977		01.03.95					30.11.2002	X				
16	Kanhaiya Lal	01.04.81		01.03.95					31.01.2005	X				
17	Rudhey Shyam Pandey	15.06.1983		34.702					28.09.2006	X				
18	Virendra Kumar Saxena	15.06.1983		01.03.95					28.09.2006	X				
19	Man Mohan	15.06.1983		01.03.95					27.05.2011		10.12.2012			
20	Sabir Husain	10.09.1981		01.03.95					29.05.2011		X			
21	Ashok Kumar Saxena	09.05.1985		16.06.97			01.12.2008		01.08.1988	01.12.2008			अनुमत्य है।	
22	Hardhari Lal	06.08.1980		16.06.97					26.05.2011		01.12.2008		अनुमत्य है।	
23	Firoz Husain	27.06.1985		16.06.97					16.06.1989		01.12.2008		अनुमत्य है।	
24	Firoz Abbas	06/08/80		16.06.97					27.05.2011		01.12.2008		अनुमत्य है।	
25	Sarjeev Ram	15.06.1983		01.03.95					21.05.2011		01.12.2008		अनुमत्य है।	
26	Om Prakash Sharma	03.10.80		16.06.97					27.05.2011		01.12.2008		अनुमत्य है।	
27	Rajendra Bahadur Saxena	03.10.1980		20.02.98					27.05.11		X		अनुमत्य है।	
28	Shahid Husain	23.01.1984		07.09.96					07.09.1988	01.12.2008				

सम्बन्धित अवधि में दफिदत किये जाने के कारण अनुमत्य नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।

अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने पर देय नहीं है।





